न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 86/2014 एल.आर.एक्ट

1. वजीराराम पुत्र भंवराराम जाति ओड निवासी 16 बीएलडी (ए) तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर ।
2. गणपतराम पुत्र भंवराराम जाति ओड निवासी 16 बीएलडी (ए) तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर ।
3. शिवलाल पुत्र भंवराराम जाति ओड निवासी 16 बीएलडी (ए) तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर (मृतक)
   3/1 पार्वती देवी पत्नी शिवलाल जाति ओड निवासी 16 बीएलडी (ए) तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर ।
   3/2 मोहनलाल पुत्र शिवलाल जाति ओड निवासी 16 बीएलडी (ए) तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर ।
   3/3 बाबूलाल पुत्र शिवलाल जाति ओड निवासी 16 बीएलडी (ए) तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर ।
   3/4 सावित्री पुत्री शिवलाल जाति ओड निवासी 16 बीएलडी (ए) तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर जरिये कुदरती वली माता पार्वतीदेवी खुद।
4. इमीचन्द पुत्र भंवराराम जाति ओड निवासी 16 बीएलडी (ए) तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर ।
5. गोपालराम पुत्र श्रीराम जाति ओड निवासी 16 बीएलडी (ए) तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर ।

अपीलान्ट

बनाम

1. लालचन्द पुत्र फतेहचन्द जाति चमार निवासी ढलियारा तहसील देहरा जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश)
2. शिव कुमार
3. सुरिन्द्र कुमार पुत्रगण फतेहचन्द जाति चमार निवासी ढलियारा तहसील
4. विजय कुमार देहरा जरिये मु0आम लालचन्द पुत्र फतेहचन्द चमार
5. राजेश कुमार निवासी ढलियारा तह0 देहरा जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
6. विद्यादेवी बेवा फतेहचन्द जाति चमार निवासी ढलियारा तहसील देहरा जरिये मु0आ0 लालचन्द जाति चमार निवासी ढलियारा त0 देहरा जि0 कांगड़ा (हि0प्र0)
7. सुभाष चन्द पुत्र प्रतापसिंह वल्द गुरदत्तराम जाति चौधरी निवासी नांगल तहसील देहरा जिला कांगड़ा (हि0प्र)
8. कमलदेव पुत्र प्रतापसिंह वल्द गुरदत्तराम जाति चौधरी निवासी नांगल तहसील देहरा जिला कांगड़ा (हि0प्र)
9. बीरबल पुत्र प्रतापसिंह वल्द गुरदत्तराम जाति चौधरी निवासी नांगल तहसील देहरा जिला कांगड़ा (हि0प्र)
10. रमेश कुमार पुत्र प्रतापसिंह वल्द गुरदत्तराम जाति चौधरी निवासी नांगल तहसील देहरा जिला कांगड़ा (हि0प्र)
11. अशोक कुमार पुत्र प्रतापसिंह वल्द गुरदत्तराम जाति चौधरी निवासी नांगल तहसील देहरा जिला कांगड़ा (हि0प्र)
12. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीविजयनगर जि0श्रीगंगानगर

रेस्पोन्डेंट

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

उपस्थितः 1— श्री महावीर प्रसाद शर्मा अभिभाषक अपीलान्ट ।
2— श्री नायबसिंह रेस्पोन्डेंट सं0 1 ता 6 की ओर से ।
3— श्री विजयकुमार पारीक रेस्पोन्डेंट सं0 7 व 11 की ओर से

निर्णय

दिनांक 8.1.2020

1. यह द्वितीय अपील राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 30.12.2011, जिसके द्वारा रेस्पोन्डेंट सं0 1 ता 6 की प्रथम अपील सं0 15/2009 एल.आर एक्ट स्वीकार करते हुए नामान्तरकरण सं0 7 दिनांक 30.10.86 एवं नामान्तरकरण सं0 186 दिनांक 22.12.08 अपास्त करने के आदेश दिये, के विरुध्द इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसील श्रीविजयनगर के चक 16 बीएलडी—ए के मु0नं0 242/427 के किला नं0 1 ता 25 की 21 बीघा 16 बिस्वा कमाण्ड भूमि परखु वल्द नोधू साकिन नांगलात तहसील देहरा जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) को पोंगबांध विस्थापित श्रेणी में पुख्ता आवंटित हुई थी । मूल आवंटी परखू वल्द नोधू का देहान्त हो जाने पर मुताबिक तस्दीक वसीयतनामा सब रजिस्ट्रार देहरा दिनांक 30.8.77 एवं उपनिवेशन तहसीलदार के आदेश दिनांक 30.10.86 की पालना में रेस्पोन्डेंट सं0 7 ता 11 के नाम दर्ज वसीयति नामान्तरकरण सं0 7 दिनांक 30.10.86 स्वीकृत किया गया । तत्पश्चात दर्ज वसीयति नामान्तरकरण के पक्षकार रेस्पोन्डेंट सं0 8 कमलदेव द्वारा अपने हिस्से की भूमि जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 30.6.08 द्वारा अपीलान्ट सं0 1 ता 4 को बेचान करने पर सरपंच, ग्राम पंचायत 48 जीबी द्वारा बैयनामा का नामान्तरकरण सं0 186 दिनांक 22.12.2008 स्वीकृत किया गया । उपनिवेशन तहसीलदार अनूपगढ द्वारा स्वीकृत किये गये वसीयति नामान्तरकरण सं0 7 दिनांक 30.10.86 के विरुध्द रेस्पोन्डेंट सं0 1 ता 6 के द्वारा न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, सूरतगढ के समक्ष प्रथम अपील सं0 15/2009 प्रस्तुत की गयी, जो न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.12.2011 द्वारा प्रथम अपील स्वीकार करते हुए वसीयति नामान्तरकरण सं0 7/30.10.86 व बैयनामा नामान्तरकरण सं0 186/22.12.08 अपास्त कर दिये गये, जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है ।
3. अपील में उभय पक्ष की बहस सुनी गयी ।
4. अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि मूल आवंटी परखू पुत्र वल्द नोधू निवासी नांगल तहसील देहरा जिला कांगड़ा को पोंगबांध विस्थापित के तौर पर तहसील अनूपगढ वर्तमान तहसील श्रीविजयनगर के चक नं0 16 बीएलडी—ए में मुरब्बा सं0 242/427 की 21.16 बीघा भूमि पुख्ता आवंटन हुई थी । आवंटन आदेश में कोई जाति दर्ज नहीं है। परखू ने उक्त भूमि की दिनांक 30.8.77 को रेस्पोन्डेंट सं0 7 ता 11 के पक्ष में वसीयत कर दी । परखू का दिनांक 29.3.85 को देहान्त हो जाने पर उक्त भूमि का वसीयति इन्तकाल नं0 7 दिनांक 30.10.86 उपनिवेशन तहसीलदार अनूपगढ द्वारा जांच के पश्चात आदेश के मुताबिक दर्ज होने पर स्वीकृत कर दिया, जो सही है । वसीयत लागू होने के समय रकबा खातेदारी था । विवादित आराजी वसीयतकर्ता की पैतृक सम्पत्ति नहीं थी, बल्कि आवंटन शुदा स्वअर्जित भूमि थी, जिसे

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

वसीयत करने का पूर्ण अधिकार था। यह कि अपीलान्ट सं0 1ता 4 के द्वारा रेस्पोन्डेंटसं08 कमलदेव से दिनांक 30.6.08 को जरिय पंजीकृत बैयनामा से चक 16 बीएलडी–ए की 0.882 हैक्टेयर व 0.221 हैक्टेयर भूमि खरीद की गयी थी, जिसका बैयनामा इन्तकाल सं0186 दिनांक 22.12.08 स्वीकृत हुआ तथा शेष भूमि भी इकरारानामा से अपीलान्ट के पिता द्वारा खरीद की हुई है, जिस पर उनका कब्जा काश्त है । यह कि परखू के आवंटन आदेश में कोई जाति दर्ज नहीं है । वह स्वर्णिम जाति का व्यक्ति था । प्रकरण में रेस्पोन्डेंट सं0 1 ता 6 लालचन्द वगैरह ने अपने आप को परखू का वारिस एवं चमार जाति का बतलाते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील पेश की, परन्तु इसके लिए कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है । आवंटी परखू नांगल तहसील देहरा जिला कांगड़ा का निवासी है, जबकि रेस्पोन्डेंटसं0 1 ता 6 के द्वारा अपने आपको ढलियारा तहसील देहरा का निवासी बताया है। इनके द्वारा फर्जी वारिस बन कर प्रथम अपील की गयी है । इनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इन्तकाल सं07 के विरुध्द प्रथम अपील 25 वर्ष पश्चात पेश की गयी, जो स्पष्टतया मियाद बाहर थी । लालचन्द रेस्पोन्डेंट सं01 द्वारा अपीलान्ट के विरुध्द न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश रायसिंहनगर में दाण्डिक पुनरीक्षण वाद सं0 40/2014 पेश किया गया, जिसमें पारित निर्णय दिनांक 7.11.15 में यह उल्लेख आया है कि एक तरफ तो लालचन्द व उसके परिजन अपने आपको अनुसूचित जाति का बताते हैं दूसरी तरफ चौधरी जाति बताकर गैर अनु.जाति वर्ग के व्यक्ति कर्मसिंह ओबीसी जाति के व्यक्ति को भूमि का विक्रय किया है। इसी लालचन्द द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वसीयत को निरस्त करवाने हेतु अपने आपको अनु0जाति का होना बताया है। इसी आधार पर रेस्पोन्डेंटसं01 लालचन्द की पुनरीक्षण याचिका खारिज हुई है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने कथन के समर्थन न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 2015 पेज 461 एवं आरआरडी 1987 पेज 594 पैरा–4 एवम् आरआरडी 2016 पेज 353 अवलोकनीय बताया तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.12.11 निरस्त कर दोनों नामान्तरकरण सं07 व 186 कायम रखने हेतु निवेदन किया ।

5. रेस्पोन्डेंट सं0 1 ता 6 के अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि मूल आवंटी परखू पुत्र नोधू जाति चमार निवासी नांगल तहसील देहरा को पोंगबांध विस्थापित के तौर पर चक 16 बीएलडी तह0 अनूपगढ में आवंटन हुआ था । रेस्पोन्डेंट सं0 1 ता 6 मूल आवंटी परखू के पौत्र है । उक्त विवादित कृषि भूमि के सम्बन्ध में अपीलान्ट सं0 1 ता 5 ने अपने पक्ष में एकपक्षीय तौर पर फर्जी कूटरचित वसीयत दिनांक 30.8.77 के आधार पर नामान्तरकरण सं0 7 दिनांक 30.10.86 को तस्दीक करवा लिया । मूल आवंटी परखू जाति से चमार है तथा रेस्पोन्डेंट सं07 ता 11 जाति से चौधरी है, जो स्वर्ण जाति के अन्तर्गत है। तथाकथित वसीयत दिनांक 30.9.77 से आरटी.एक्टी की धारा 42 को हिट होती है । कानूनन एक खातेदार ही अपनी भूमि की वसीयत कर सकता है । एक पोंगबांध विस्थापित धारा 6(4) के अनुसार गैरखातेदार अपनी कृषि भूमि की वसीयत नहीं कर सकता है । इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित कर लालचन्द वगैरह की प्रथम अपील स्वीकार करते हुए वसीयति नामान्तरकरण सं0 7 दिनांक 30.10.86 व बैयनामा का नामान्तरकरणसं0186 नियमानुसार ही निरस्त कियागया है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

6. रेस्पोन्डेंट सं0 7 व 11 के अभिभाषक श्री विजयकुमार ने लिखित बहस प्रस्तुत कर अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील जरिये मुखत्यार आम पेश की गयी थी। उक्त मुखत्यारनामा दिनांक 14.3.97 में यह कथन था कि हम लालचन्द को अधिकार देते हैं कि हमारी राजस्थान में भूमि के बाबत अदालत में चाराजोही करे या कोई भी कार्यवाही करे । मुखत्यार आम दिनांक 14.3.97 का है तथा उक्त तिथि को जिन्होंने मुखत्यारआम दिया, उनके नाम राजस्थान में कोई भी नहीं थी एवं आज भी नहीं है । इस प्रकार प्रथम अपील रेस्पोन्डेंट सं0 1 ता 5 के द्वारा अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर पेश की गयी थी । अपील पेश करने की लोकस्टण्डाई नहीं थी । मुखत्यार आम शून्य था । यह कि वजीराराम की अपील खारिज फरमाई जावे, क्योंकि इनके द्वारा खरीद की गयी भूमि धारा 42 आरटी.एक्ट से हिट होती है तथा जिनसे जमीन खरीद की गयी, शामिल खाते की भूमि होने से उसे पर्टीकूलर भूमि बेचवान का अधिकार नहीं था । इस कारण इन्तकाल सं0 186 दिनांक 22.12.08 भी अवैध है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे । यह कि प्रथम अपील न्यायालय में वसीयति नामान्तरकरण सं0 7 दिनांक 30.10.86 के विरुध्द रेस्पोन्डेंट सं0 1 ता 6 के द्वारा दिनांक 4.2.09 को 23 वर्ष पश्चात पेश की गयी, जो मियाद बाहर थी । अपील पेश करने की अनुमति भी नहीं ली गयी । यह कि परखूराम को पौंगबांध विस्थापित के तौर पर भूमि आवंटन हुई एवम् रेस्पोन्डेंट सं0 7 ता 11 के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयत करवाई थी। यह कि वजीराराम अपीलान्टान द्वारा हरिजन की भूमि खरीद की गयी थी, अतः बैयनामा का इन्तकाल सं0 186 खारिज किया जावे तथा इन्तकाल सं0 7 दिनांक 30.10.86 यथावत राखा जावे । अभिभाषक रेस्पोन्डेंट सं0 7 व 11 के द्वारा अपने कथन के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 1983 पेज 811, आरआरडी 1989पेज 293, आरआरडी 1985 पेज 656 तथा राज0 पोंगडेंम विस्थापितों हेतु नियम 1972 अवलोकनीय बताया।

7. हमने उभय पक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया । अपील में न्यायालय का निष्कर्ष निम्नवत है :–

   I. उपनिवेशन तहसीलदार अनूपगढ द्वारा स्वीकृत किये गये वसीयति नामान्तरकरण सं0 7 दिनांक 30.10.86 के विरुध्द रेस्पोन्डेंट सं0 1 ता 6 के द्वारा न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, सूरतगढ के समक्ष प्रथम अपील सं0 15/2009 दिनांक 4.2.09 को 22 वर्ष 3 माह पश्चात प्रस्तुत की गयी है । जिसमें बताया गया कि अपीलान्ट लालचन्द विरास्तन इन्तकाल दर्ज करवाने के लिए दिनांक 15.1.09 को आया तथा पटवारी से मिला तो वसीयति नामान्तरकरण सं0 7 दिनांक 30.10.86 दर्ज होना बताया तथा आक्षेपित इन्तकाल की जानकारी सर्वप्रथम 15.1.09 को होना बताया । प्रकरण में 22 वर्ष 3 माह देरी से प्रस्तुत की गयी अपील को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मियाद बिन्दु पर सुनवाई किये बिना ही गुणावगुण पर निर्णय पारित किया है, जो नियमानुसार नहीं है । न्यायालय के अनुसार मूल आवंटी परखु का दिनांक 29.3.85 को देहान्त होने के के पश्चात वसीयति नामान्तरकरण दिनांक 30.10.86 को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने के पश्चात रेस्पो0नं0 1ता6 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील सं0 15/09 जो समक्ष 22 वर्ष 3 माह पश्चात पेश की गयी है एवं धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण अभिलिखित किये हैं, उसे सन्तोषजनक नहीं माना जा सकता ।

संभागीय आयुक्त

II. न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर सूरतगढ के समक्ष प्रथम अपील सं015/09 रेस्पोन्डेंट सं0 1 लालचन्द की ओर से जरिये मुखत्यार आम रेस्पो0नं0 2 ता 6 की ओर से प्रस्तुत की गयी है । प्रकरण में रेस्पोन्डेंट सं0 1 ता 6 लालचन्द वगैरह ने अपने आप को परखू का वारिस एवं चमार जाति का बतलाते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील पेश की, परन्तु इसके लिए कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया । पोंगबांध विस्थापित आवंटी परखू पुत्र नोधू साकिन नांगल तहसील देहरा जिला कांगड़ा का निवासी है, जबकि रेस्पोन्डेंटसं0 1 ता 6 के द्वारा अपने आपको ढलियारा तहसील देहरा का निवासी बताया है । मुखत्यार आम लालचन्द रेस्पोन्डेंट सं01द्वारा दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका सं0 40/2014 अनवान लालचन्द बनाम स्टेट, वजीराराम वगैरह न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश रायसिंहनगर में पेश की गयी, जिसमें पारित निर्णय दिनांक 7.11.15 में यह उल्लेख आया है कि एक तरफ तो लालचन्द व उसके परिजन अपने आपको अनुसूचित जाति का बताते हैं दूसरी तरफ लालचन्द द्वारा अपने आपको चौधरी जाति बताकर ओबीसी जाति के व्यक्ति को भूमि का विक्रय किया है। इसी लालचन्द द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वसीयत को निरस्त करवाने हेतु प्रथम अपील सं0 15/09 में अपने आपको अनु0जाति का होना बताया है। दोनों विरोधाभाषी है । मूल आवंटी पुरखु पुत्र नोधू की जाति का उल्लेख राजस्व रिकॉर्ड में नहीं है । इस आधार पर हम अधीनस्थ न्यायालय के इस निष्कर्ष से सहमत नहीं है कि वसीयति नामान्तरकरण सं07 अनुसूचित जाति से गैर अनुसूचित जाति के नाम से धारा 42(ख) के प्रावधानों के विपरीत दर्ज किया गया है ।

III. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.12.11 में विवादित भूमि गैर खातेदारी होने तथा गैर खातेदार द्वारा वसीयत द्वारा अपने हक का अन्तरण का अधिकार नहीं होने एवं पोंगबांध विस्थापितों को राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम 1972 के नियम 6(4) अनुसार गैर खातेदार द्वारा अन्तरण पर प्रतिबन्ध होने का उल्लेख किया है एवं इसी आधार पर आवंटी परखू द्वारा उक्त नियमों का उल्लंघन कर वसीयत किये जाने से वसीयती नामान्तरकरण सं07 खारिज योग्य बताया है । हमने अधीनस्थ न्यायालय के उपरोक्त विवेचन के सम्बन्ध में अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आरआरडी 2016 पेज 353, आरआरडी 2015 पेज 461 का अवलोकन किया, जिसमें यह स्पष्ट किया है कि शर्त सं0 9 राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य कॉलोनी) 1955 के तहत अन्तिम किश्त जमा होने पर आवंटी स्वतः खातेदार हो जाता है । शर्त सं0 9 के तहत खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने की एक मात्र शर्त आवंटन राशि जमा करवाया जाना है । इस प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट के अनुसार वसीयत प्रभावशील होने के समय आवंटन राशि जमा करवाई जा चुकी थी । पोंगबांध विस्थापितों के नियम 6(4) में निम्न प्रकार प्रावधान दिया गया है:–

During the period of ghair khatedari tenure, the allotee shall not have any alienable and transferable rights in the land and shall not transfer or alienate the land toanyother person in any way e.g. by sale mortage, gift, transfer, lease or otherwise. No transfer or alienation of land even in the form of a Nokarname, Mukhtiarname, Tablinama, Ikarname or the like shall be permissible. उपरोक्त नियम 6(4) में पोंगबांध विस्थापित गैर खातेदार आवंटी

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

के लिए वसीयत करने हेतु कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है । इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रकबा गैरखातेदारी मानते हुए इन्तकाल सं07 दिनांक 30.10.86 खारिज करने में कानूनी गलती की है ।

IV. प्रकरण में मूल आवंटी परखू पुत्र वल्द नोधू निवासी नांगल तहसील देहरा जिला कांगड़ा को पोंगबांध विस्थापित के तौर पर तहसील अनूपगढ वर्तमान तहसील श्रीविजयनगर के चक नं0 16 बीएलडी–ए में मुरब्बा सं0 242/427 की 21.16 बीघा भूमि पुख्ता आवंटन हुई थी । आवंटन आदेश में कोई जाति दर्ज नहीं है। परखू ने उक्त भूमि की दिनांक 30.8.77 को रेस्पोन्डेंट सं0 7 ता 11 के पक्ष में वसीयत कर दी । परखू का दिनांक 29.3.85 को देहान्त हो जाने पर उक्त भूमि का वसीयति इन्तकाल नं0 7 दिनांक 30.10.86 उपनिवेशन तहसीलदार अनूपगढ द्वारा वसीयति जांच के पश्चात आदेश दिनांक 30.10.86 के मुताबिक दर्ज होने पर स्वीकृत किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील सं0 15/09 में वसीयति इन्तकाल सं0 7 के विरुध्द प्रस्तुत हुई है, जबकि नामान्तरकरण सं07 मूल आदेश नहीं है, बल्कि उक्त नामान्तरकरण उपनिवेशन तहसीलदार अनूपगढ के आदेश दिनांक 30.10.86 की पालना में दर्ज होकर स्वीकृत हुआ है । प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार द्वारा पारित आदेश को चुनौति नहीं दी गयी है। प्रकरण अनुसार विवादित आराजी वसीयतकर्ता की आवंटन शुदा स्वअर्जित भूमि थी, वसीयत लागू होने के समय आवंटन किश्तें जमा होने के आधार पर उपनिवेशन तहसीलदार द्वारा बाद वसीयति जांच के पश्चात नामान्तरकरण सं07 दर्ज कर स्वीकृत किया गया था । प्रकरण में अपीलान्ट सं0 1ता 4 के द्वारा रेस्पोन्डेंटसं08 कमलदेव से दिनांक 30.6.08 को जरिय पंजीकृत बैयनामा से चक 16 बीएलडी–ए की 0.882 हैक्टेयर व 0.221 हैक्टेयर भूमि खरीद की गयी थी, जिसका बैयनामा इन्तकाल सं0186 दिनांक 22.12.08 स्वीकृत हुआ, उक्त बैयनामा के नामान्तरकरण के विरुध्द रेस्पोन्डेंट सं01 ता 6 के द्वारा कोई अपील पेश नहीं की गयी है ।

8. अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में यह अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, सूरतगढ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.12.11 निरस्त किया जाता है तथा चक नं0 16 बीएलडी–ए का वसीयति नामान्तरकरण सं0 7 दिनांक 30.10.86 एवं बैयनामा का नामान्तरकरण सं0186 दिनांक 22.12.08 यथावत कायम रखा जाता हैं । यदि रेस्पोन्डेंट सं0 1 ता 6 अपने आपको परखू का वारिस मानते हैं तो सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है ।

9. तद्नुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 8.1.20 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
सम्भागीय आयुक्त
बीकानेर